उत्तराखण्ड शासन,

चिकित्सा अनुभाग–2

संख्या– 209/XXVIII–2–2009–343/2005

देहरादून : दिनांक : 26 फरवरी, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'' भारत का संविधान '' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड चिकित्सा एंवं स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2009

भाग–एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2009 है ।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें चिकित्साधिकारी समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

3–परिभाषाए जब तक की विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;

(ख) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(घ) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है ;

(ड) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व व नियमों या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत हैं ;

(ज) ''प्रमुख सचिव/सचिव'' से प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अभिप्रेत हैं ;

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

(ञ) ''महानिदेशक'' से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(त) ''समूह 'ख'' चिकित्साधिकारी से पद हेतु यथा लागू वेतनमान रू0 8000–275–13500, वेतन बैंड–3 15600–39100 ग्रेड पे–5400 में नियुक्त चिकित्साधिकारी अभिप्रेत है ;

(थ) ''समूह 'क'' चिकित्साधिकारी से पद हेतु यथा लागू वेतनमान रू0 10000–325–15200, वेतन बैंड–3 15600–39100 ग्रेड पे–6600 तथा उससे उच्च वेतनमान में नियुक्त चिकित्साधिकारी अभिप्रेत है ;

(द) ''निदेशक'' से निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(ध) ''अपर निदेशक'' से अपर निदेशक/चिकित्सालयों के प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, सम्भागीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र अभिप्रेत है ;

(न) ''संयुक्त निदेशक ग्रेड'' से ;

(1) चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत प्रमुख विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं; तथा

(2) चिकित्साधिकारी सामान्य उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी अभिप्रेत हैं ;

(प) ''वरिष्ठ चिकित्साधिकारी '' से :-

(1) चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत मुख्य विशेषज्ञ, अधीक्षक है ;

(2) चिकित्साधिकारी सामान्य उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर/नगर स्वास्थ्य अधिकारी अभिप्रेत भी हैं ;

(फ) '' चिकित्साधिकारी ग्रेड– एक'' से :-

(1) चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ विशेषज्ञ; तथा

(2) चिकित्साधिकारी सामान्य उप–संवर्ग से मौलिक रूप से प्रोन्नत चिकित्साधिकारी पद के समकक्ष चिकित्साधिकारी अभिप्रेत है ;

(ब) ''चिकित्साधिकारी सामान्य उप–संवर्ग'' से उप–संवर्ग के ऐसे चिकित्साधिकारी अभिप्रेत हैं, जिसमें सेवा के समस्त सदस्य नियम 8 के उपनियम (1) में विहित अर्हताएं रखते हों ;

(भ) ''चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ उप–संवर्ग'' से उप–संवर्ग के ऐसे चिकित्साधिकारी से है, जिसमें सेवा के समस्त सदस्य नियम 8 के उपनियम (2) में विहित अर्हताएं रखते हों ;

(म) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलैण्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

(य)" भारत का नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान भाग (II) के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ।"

भाग–दो–संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग (1) (क) सेवा में चिकित्साधिकारी समूह 'क' तथा 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

(ख) सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति चिकित्साधिकारी समूह 'ख' नियम 5 के भाग (दस) (ग्यारह) के अनुरूप होगी।

(ग) श्रेणी व संवर्गों का विवरण नियम 3 द्वारा परिभाषित है ।

(घ) सेवा में चिकित्साधिकारी समूह 'ख' की मौलिक पद पर नियुक्ति निम्न उपसंवर्गवार होगी।

(1) उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सामान्य चिकित्साधिकारी उप–संवर्ग
(2) उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी उप–संवर्ग

(2) (क) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

(ख) जब तक खण्ड (एक) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक उप–संवर्ग व श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–1, 2, 3 में दी गयी है, परन्तु यह कि–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी श्रेणी/उप–संवर्ग में किसी रिक्त पद को बिना भरे या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नही होगा, या

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी संवर्ग/श्रेणी में ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

(3) विभिन्न उपसंवर्गों में तैनाती का स्थान ऐसा होगा, जैसा परिशिष्ट–1, 2, 3 में दिया गया है ।

भाग–तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों तथा उप–संवर्ग के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) महानिदेशक –

परिशिष्ट–3 के कमांक–2 पर उल्लिखित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष तथा कुल छब्बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, किन्तु निदेशक के पद के लिए एक वर्ष की सेवा अवधि को यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, कम किया जा सकता है ।

निदेशक –

परिशिष्ट–3 के कमांक–3 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा कुल पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, किन्तु यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो, कुल दो वर्ष की सेवा अवधि को कम किया जा सकता है ।

(तीन) अपर निदेशक –

परिशिष्ट–1 के कमांक–1 तथा परिशिष्ट–2 के कमांक–1 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा तथा कुल बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

स्पष्टीकरण – प्रोन्नति के इस सोपान पर चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा के चिकित्साधिकारियों में उप–संवर्गीय वर्गीकरण समाप्त हो जायेगा । तदनुसार अपर निदेशक सोपान पर प्रोन्नति दोनों संवर्गों की पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची में से एक अनुपात एक के अनुपात में प्रथम विशेषज्ञ संवर्ग से एवं द्वितीय सामान्य संवर्ग से पात्रता सूची में सम्मिलित करते हुए की जायेगी । अपर निदेशक पद पर प्रोन्नति के पश्चात् इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(चार) संयुक्त निदेशक ग्रेड (विशेषज्ञ उप–संवर्ग)

परिशिष्ट–1 के कमांक–2 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ चिकित्साधिकारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल चौदह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। अति दुर्गम क्षेत्रों में दो वर्ष की सेवा करने पर कुल सेवा में दो वर्ष की शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(पांच) संयुक्त निदेशक ग्रेड(सामान्य उप–संवर्ग)

परिशिष्ट–2 के कमांक–2 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ चिकित्साधिकारी में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। अति दुर्गम क्षेत्रों में दो वर्ष की सेवा करने पर कुल सेवा में दो वर्ष की शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(छः) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग)

परिशिष्ट–1 के कमांक–3 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–एक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़ कर, पदोन्नति द्वारा।

(सात) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य उप–संवर्ग)

परिशिष्ट–2 के कम संख्या–3 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–एक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा ।

(आठ) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–एक (विशेषज्ञ उप–संवर्ग)

परिशिष्ट–1 के क्रमांक–4 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम एक वर्ष अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर तथा कुल तीन वर्ष की सेवा कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(नौ) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–एक (सामान्य उप–सवंर्ग)

परिशिष्ट–2 के क्रमांक–4 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम एक वर्ष अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर तथा कुल चार वर्ष की सेवा कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(दस) चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप–संवर्ग – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ग्यारह) चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप–संवर्ग – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

6–आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिऐ आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग–चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी उपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी –

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता सेवा में उप–संवर्गवार पदों पर भर्ती के लिये निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(1) सेवा में सामान्य उप–संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एम0बी0बी0एस0 उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि होनी चाहिए ।

(2) विशेषज्ञ उप–संवर्ग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (एम0बी0बी0एस0) के अतिरिक्त विशिष्टता के अनुसार विशेषज्ञ उपाधि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित पदनाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता :–

क0सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	2	3
1	शल्य चिकित्सक (सर्जन)	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)
2	निश्चेतक (एनैस्थैटिस्ट)	एम0डी0 (एनेस्थीसिया), डी0ए0
3	विकृति विज्ञानी (पैथोलॅजिस्ट)	एम0डी0 (पैथोलॅजी), डी0सी0पी0
4	चिकित्सक(फिजीशियन)	एम0डी0 (मेडिसिन)
5	एक्स–रे विज्ञानी (रेडियोलॅजिस्ट)	एम0डी0 (रेडियोलॅजी)/डी0एम0आर0डी0/ई0
6	हृदय रोग विज्ञानी (कार्डियोलॅजिस्ट)	एम0डी0 (मेडिसिन)/डिप कार्ड
7	आंख नाक गला शल्य चिकित्सक (ई0एन0टी0 सर्जन)	एम0एस0 (ई0एन0टी0)/डी0एल0ओ0
8	विकलांग विज्ञान शल्य चिकित्सक (आर्थोपेडिक सर्जन)	एम0एस0(आर्थ0), डी0आर्थ0
9	नेत्र शल्यक (आप्थेल्मिक सर्जन)	एम0एस0(आप्थल्मलौजी), डी0ओ0एम0एस0
10	विशेषज्ञ बाल रोग (पिडिएट्रिक स्पेशलिस्ट)	एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स)/ डी0सी0एच0
11	विशेषज्ञ चर्म रोग (डरमाटोलॅजिस्ट)	एम0डी0(स्किन/वी0डी0) डी0वी0डी0
12	ई0एम0ओ0	एम0एस0/एम0डी0
13	विशेषज्ञ टी0बी0/चेस्ट स्पेशलिस्ट	एम0डी0 (टी0बी0)/डी0टी0सी0डी0 एम0डी0चेस्ट/डिप चेस्ट
14	विशेषज्ञ स्त्री रोग (ग्यानकोलॅजिस्ट)	एम0एस0(गायनोकालौजी/आब्स्ट्रेटिक्स)/डी0 जी0ओ0
15	"प्लास्टिक" सर्जन	एम0एस0/एम0सी0एच0 प्लास्टिक सर्जरी
16	तंत्रिका विज्ञानी (न्यूरोलाजिस्ट)	डी0एम0/एम0डी0 न्यूरोलॅजी

(3) सेवा में नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

अधिमानी अर्हताएं

अन्य बातों के समान होने पर सेवा में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों से भिन्न चिकित्साधिकारियों के सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा ; जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10–आयु

सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाये, 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40(चालीस) वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों ''अन्य पिछड़े वर्ग'' और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी निर्दिष्ट की जाए। उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत संविदा के आधार पर अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर की गई सेवा की अवधि तक आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ।

11–चरित्र सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें।

12–वैवाहिक प्रास्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13–शारीरिक स्वस्थता किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व राजपत्रित पद या सेवा के मामले में चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

भाग –पांच–भर्ती की प्रकिया

14–रिक्तियों का अवधारण नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती के मामले में आयोग को सूचित करेगा।

15–सीधी भर्ती की प्रकिया(1) आयोग विभिन्न संवर्गों के चिकित्साधिकारियों के चयन के लिये विचार किये जाने वाले आवेदन–पत्र का विहित विज्ञापन द्वारा प्रकाशित करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा । आवेदन–पत्र भुगतान पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे ।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को उप–संवर्गवार उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, अलग–अलग सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सूची को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा :

(क) विशेषज्ञ उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारियों के चयन के समय प्राप्ताकों के आधार पर निर्धारित की गई शाखावार प्रवीणता सूचियों में से आयोग एक प्रवीणता सूची इस प्रकार व्यवस्थित करेगा, जिससे विभिन्न चिकित्सा आयाम के चयनित विशेषज्ञ डिग्री व डिप्लोमा धारी संवर्ग की प्रवीणता एकीकृत होकर, स्पष्ट रूप से निर्धारित हो।

(ख) सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारियों के नामों की एक प्रवीणता सूची में आयोग इस प्रकार व्यवस्थित करेगा, जैसा कि साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्तांकों से प्रकट हो । यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें, तो नियम 15 के उपनियम (3) में विहित रीति से बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में आयोग, सूची को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम ऊपर हो ।

(ग) नियम 15 के उपनियम 3 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्धारित रीति से आयोग उप–संवर्गवार अलग–अलग प्रवीणता सूची तैयार करेगा, जो आयोग द्वारा चयन की प्रवीणता सूची होगी ।

6–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

(1) महानिदेशक और निदेशक के पद पर भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(चार) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/जनजातियों, का कोई अधिकारी, जो सरकार के सचिव से निम्न स्तर का न हो — सदस्य

(2) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक ग्रेड/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–एक के पद पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो — सदस्य

(तीन) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड — सदस्य

(चार) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नान निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/जनजातियों, का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो — सदस्य

टिप्पणी :– (1) चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन " उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा । "

(2) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उस क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

(3) पदोन्नति द्वारा भर्ती यथास्थिति गुणागुण/ज्येष्ठता एवं अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के आधार पर की जायेगी ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणागुण के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे संबंधित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जाय ।

(5) चयन समिति द्वारा उपनियम (4) के निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

भाग – छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17–नियुक्ति (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में जिसमें नियम 15 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की गई हो या जैसी कि उस संवर्ग व श्रेणी में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ;

परन्तु यह कि अपर निदेशक पदनाम सोपान पर इस नियम के अन्तर्गत ज्येष्ठता का निर्धारण दोनों उप–संवर्गो की ज्येष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा।

18–परिवीक्षा (1) पद पर मौलिक रूप से विशेषज्ञ उप–संवर्ग तथा सामान्य उप–संवर्ग में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।

(2)चिकित्साधिकारी ग्रेड–एक/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक (विशेषज्ञ/सामान्य) संवर्ग को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, और

(3) निदेशक या महानिदेशक को छः मास की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(5) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(6) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें नियम 18 के उपनियम (5) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

19–स्थायीकरण किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

20–ज्येष्ठता किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग – सात – वेतन इत्यादि

21–वेतनमान (1) सेवा में विभिन्न संवर्गों/श्रेणियों के पदों पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट एक, दो, तीन में दिये गये हैं।

(3) (क) विशेषज्ञ डिग्री धारक चिकित्साधिकारी को प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने पर यथा लागू वेतनमान में पाँच वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा, जो वेतन का भाग होगा।

(ख) विशेषज्ञ डिप्लोमा धारक चिकित्साधिकारी को प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण पर यथा लागू वेतनमान में तीन वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा, जो वेतन का भाग होगा।

22–परिवीक्षा अवधि में वेतन मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हों,

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक कार्य न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

23–पक्ष समर्थन किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

24–ड्यूटी पर ऐप्रन के साथ बैज का पहनना(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य जबकि वह ड्यूटी पर हो, तो नाम और पदनाम वाले बैज सहित ऐप्रन, जैसा कि सरकार के परामर्श से महानिदेशक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये, पहनेगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को पोशाक को तैयार कराने, क्रय करने या बदलने के लिये उपनियम (1) के अधीन किसी प्रकार का भत्ता या व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

25–अन्य विषयों का विनियमन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

26–सेवा की शर्तों में शिथिलता जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27–व्यावृत्ति (1) इस नियमावली के अधीन वर्तमान में कार्यरत सेवा के उन सदस्यों को जो नये नियमों में विशेषज्ञ उप–संवर्ग हेतु अर्ह हैं, नियुक्ति अधिकारी द्वारा उप–संवर्ग के आवंटन हेतु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के अन्ततः 60 दिवस तक निर्धारित प्ररूप पर स्वतः प्रेरित होकर नियुक्ति प्राधिकारी को विकल्प देना होगा।

(2) सेवा का कोई सदस्य जो नियम 27 के उपनियम (1) के अधीन निश्चित अवधि में अपना विकल्प नहीं देता है, तो उसे चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप–संवर्ग में सेवा का सदस्य समझा जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सदस्यों के विकल्पों के आधार पर अर्हता को ध्यान में रखते हुए निश्चित उप–संवर्ग में आवंटित कर एक सूची जारी करेगा, जो अंतिम होगी तथा किसी प्रत्योवदन पर विचार नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह कि इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

----------X----------

आज्ञा से,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या- 209/XXVIII-2-2009-343/2005 दिनांक 26 फरवरी, 2009 का परिशिष्ट-1

राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप संवर्ग

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता/भर्ती की विधि	सादृश्य वेतनमान वेतन बैंड/ग्रेड पे (रूपये में)	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त निदेशक ग्रेड (प्रमुख विशेषज्ञ/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/ संयुक्त निदेशक)	81	पदोन्नति से कमांक-2 पर न्यूनतम 05 वर्ष और कुल 14 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में। (अतिदुर्गम क्षेत्रों में 02 वर्ष की सेवा करने पर कुल सेवा में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जायेगी)	14300-400-18300 वेतन बैंड-4 37400-67000 ग्रेड पे-8700	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिल/संयुक्त/बेस चिकित्सालय, प्रमुख विशेषज्ञ, जिल/संयुक्त/बेस चिकित्सालय, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय।
2.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	185	पदोन्नति से कमांक-3 पर न्यूनतम 05 वर्ष और कुल 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में।	12000-375-16500 वेतन बैंड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	मुख्य विशेषज्ञ, जिला/संयुक्त/बेस चिकिसालय तथा महिला चिकित्सालय, अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, स्त्री रोग विशेषज्ञ/अधीक्षक, जिला/ संयुक्त/बेस चिकित्सालय, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र ।
3.	चिकित्साधिकारी ग्रेड-एक	290	पदोन्नति से कमांक-4 पर इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर और कुल 03 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में।	10000-325-15200 वेतन बैंड-3 15600-39100 ग्रेड पे-6600	आपातकालीन चिकित्साधिकारी, पुरुष/महिला चिकित्सालय, रक्तकोष, टी0बी0क्लीनिक/ चिकित्सालय, स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सालय, जिला/ संयुक्त/बेस चिकित्सालय, के वरिष्ठ विशेषज्ञ।
4.	चिकित्साधिकारी, विशेषज्ञ	354	एम0बी0बी0एस0 तथा विषय विशेष से डिप्लोमा अथवा एम0एस0/एम0 डी0 अथवा डी0एस0/एम0सी0एच0 /लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	8000-275-13500+डिग्री धारक को 5 वेतनवृद्धि तथा डिप्लोमा धारक को 3 वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा, जो वेतन का भाग होगा। वेतन बैंड-3 15600-39100 ग्रेड पे-5400	पुरुष विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /महिला चिकित्सालय, पुरुष विशेषज्ञ, जिला/ संयुक्त / बेस चिकित्सालय / रक्तकोष (ब्लड बैक), आपातकालीन चिकित्साधिकारी महिला तथा पुरुष।

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या- 209/XXVIII-2-2009-343/2005 दिनांक 26 फरवरी, 2009 का परिशिष्ट-2

राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सामान्य उप संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता/भर्ती की विधि	सादृश्य वेतनमान वेतनबैंड/ग्रेड पे (रूपये में)	तैनाती का स्थान
1		2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक ग्रेड	7	पदोन्नति से क्रमांक-2 पर न्यूनतम 06 वर्ष और कुल 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में। (अतिदुर्गम क्षेत्रों में 02 वर्ष की सेवा करने पर कुल सेवा में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जायेगी)	14300-400-18300 वेतन बैड-4 37400-67000 ग्रेड पे-8700	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, संयुक्त निदेशक मुख्यालय, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी ।
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	05	पदोन्नति से क्रमांक-3 पर न्यूनतम 06 वर्ष और कुल 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में।	12000-375-16500 वेतन बैड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रथम चिकित्साधिकारी, सामान्य सेवा चिकित्साधिकारी, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, जिला वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, जिला क्षयरोग केन्द्र, हैल्थ पोस्ट, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, जिला मलेरिया अधिकारी, पटवाडांगर।
3.	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-एक	342	पदोन्नति से क्रमांक-4 पर इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर तथा कुल 04 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में।	10000-325-15200 वेतन बैड-3 15600-39100 ग्रेड पे-6600	पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्र को छोड़कर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के महिला चिकित्साधिकारी, ग्रामीण महिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वितीय चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वितीय चिकित्सा अधिकारी,कुष्ठ नियंत्रण,मोबाइल यूनिट,नगर पालिका, पुलिस/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जेल /संक्रमण डिजीस हॉस्पिटल, पटवाडांगर, अन्य चिकित्सालय, सामान्य सेवा चिकित्साधिकारी संयुक्त चिकित्सालय ।
4.	चिकित्सा अधिकारी	392	एम0बी0बी0एस0/लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	8000-275-13500 वेतन बैड-3 15600-39100 ग्रेड पे-5400	पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के महिला चिकित्साधिकारी।

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या- 209/XXVIII-2-2009-343/2005 दिनांक 26 फरवरी 2009 का परिशिष्ट-3

राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता/भर्ती की विधि	सादृश्य वेतनमान वेतनबैंड/ग्रेड पे (रूपये में)	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	3	4	2	3	4	5
1.	महानिदेशक	01	पदोन्नति से, क्रमांक-2 पर न्यूनतम 01 वर्ष तथा कुल 26 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में ।	22400-525-24500 वेतन बैंड-4 37400-67000 ग्रेड पे-12000	मुख्यालय	-
2.	निदेशक	06	पदोन्नति से, क्रमांक-3 पर न्यूनतम 02 वर्ष तथा कुल 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर तथा पद उपलब्ध होने की दशा में ।	18400-500-22400 वेतन बैंड-4 37400-67000 ग्रेड पे-10000	मुख्यालय पर 03 निदेशक, (चिकित्सा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम, बजट नियोजन एवं भण्डार) तथा 02 सम्भागीय निदेशक, 02 निदेशक मण्डल स्तर, तथा 01 निदेशक, (दून/ महिला / कोरोनेशन)	निदेशक,दून चिकित्सालय 01 सम्भागीय निदेशक 02 निदेशक, मुख्यालय 03
3.	अपर निदेशक	3	पदोन्नति से, परिशिष्ट-1 के क्रमांक-1 तथा परिशिष्ट-2 के क्रमांक-1 पर मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा तथा कुल 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो तथा पद उपलब्ध होने की दशा में ।	16400-450-20000 वेतन बैंड-4 37400-67000 ग्रेड पे-8900	मुख्यालय-08 पद मुख्यालय- (स्वास्थ्य, प्रशासन, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नियोजन, भण्डार, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण/मातृ शिशु कल्याण, प्रमुख अधीक्षक-12 (देहरादून / पौड़ी / उत्तरकाशी / नैनीताल / पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / हरिद्वार / ऊधमसिंह नगर / बेस चिकित्सालय, श्रीनगर / अल्मोड़ा / हल्द्वानी व क्षयरोगाश्रम भवाली) मुख्य चिकित्सा अधिकारी-13 प्रत्येक जनपद में।	अपर निदेशक मुख्यालय 08 प्रमुख अधीक्षक 12 मुख्य चिकित्साधिकारी 13 अपर निदेशक 02 सम्भागीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव